बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधि०सू०सं0–निग / सारा–4(पथ) आरोप–33 / 2024 4341(S) पटना, दिनांक 24/6/2026

अधिसूचना

श्री संजीव कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बाँका के पदस्थापन काल में ''सुल्तानगंज सें दुम्मा कच्ची काँवरियाँ'' पथ के कि०मी० 0.70 से 83.350 कि०मी० तक में श्रावणी मेला के अवसर पर पथ में मिट्टी कार्य, रेनकट मरम्मति, गंगा बालू बिछाई कार्य, पानी छिड़काव कार्य एवं विविध कार्य सहित मेला के दौरान पथ का अनुरक्षण कार्य वर्ष 2024–25 की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–02 एवं 03 से करायी गयी। उड़नदस्ता प्रमंडल के जाँच प्रतिवेदन को निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत निम्नलिखित त्रुटियाँ / अनियमितता पायी गयी :–

(i) MB No.-1984 के पृष्ठ–8–9 पर Embankment Construction (Earth work) का Detailed Measurement को Record कर उसके कुल Quantity का 55% Quantity भुगतान हेतु दर्ज की गई, जिसका कोई मान्य आधार नहीं है, क्योंकि वास्तविक कार्य के आधार पर मापी पुस्त में दर्ज किया जाना चाहिए था।

(ii) उक्त कार्य से संबंधित तकनीकी स्वीकृति एवं तकनीकी अनुमोदन में मिट्टी कार्य की प्राक्कलित मात्रा का 50% अनुमान करते हुए मिट्टी कार्य की मात्रा की गणना की गई। प्रतिशत के आधार पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान नहीं रहने के बावजूद भी अनियमित रूप से तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी।

(iii) मापी पुस्त संख्या–1988 के पृष्ठ–16 के अनुसार उपयोग में लायी गयी गंगा बालू की मात्रा 18494.459 m^3 है, जबकि इसके विरूद्ध मात्र 4515.33 m^3 गंगा बालू का Verified Challan उपलब्ध कराया गया है, जो काफी कम है। इस प्रकार कुल 13979.129 m^3 बालू का कार्य में किये गये उपयोग का ई–चालान समर्पित नहीं किया गया, जिससे प्रत्यक्ष रूप से सरकारी राजस्व की क्षति हुई है एवं खान एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक–4557 दिनांक 11.09.2023 तथा पत्रांक–4418 दिनांक 19.10.2024 में निहित प्रावधान का उल्लघंन है। कार्य में / कार्य के प्रर्वेक्षण में / कार्य के भुगतान की प्रकिया में संबंद्ध अभियंताओं द्वारा इस कार्य में अवैध खनन को बढ़ावा दिया गया।

(iv) खान एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक–4557 दिनांक 11.09.2023 में निहित प्रावधान के अनुसार अवैध रूप से खनन, परिवहन एवं भंडारण किए गए लघु खनिजों के उपयोग को रोकने एवं राजस्व को अपवंचन (evasion) रोकने हेतु ऐसे संवेदकों की पूर्ण सूची एवं चालान सत्यापन से संबंधित सूची संबंधित जिला खनन कार्यालय को दी जानी चाहिए थी, जो नहीं दी गई।

2. उक्त पायी गयी त्रुटियों / अनियमितताओं के लिए श्री सिंह से विभागीय पत्रांक–6018 (एस) अनु० दिनांक–28.11.2024 द्वारा सामान्य स्पष्टीकरण पुछा गया। श्री सिंह द्वारा पत्रांक–1928 (अनु०) दिनांक–16.12.2024 के द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण उत्तर के समीक्षोपरांत अस्वीकृत करते हुए श्री सिंह के विरूद्ध उक्त आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक–3914

कृ०पृ०उ०

(एस) अनु० दिनांक–16.05.2025 द्वारा स्पष्टीकरण पुछा गया। उक्त के आलोक में श्री सिंह के पत्रांक–808 (अनु०) दिनांक–27.05.2025 द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से निम्न तर्कों/तथ्यों को रखा गया :–

(i) इनके द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बांका का पदभार दिनांक–11.07.2024 को ग्रहण किया, जबकि उपरोक्त कार्य का औपबंधिक कार्यादेश इस कार्यालय के पत्रांक–977 दिनांक–05.07.2024 को निर्गत किया गया था।

(ii) संवेदक द्वारा समर्पित चालान के सत्यापन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–1327 दिनांक–27.08.2024 द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, बांका को पत्र दिया गया था। जिला खनन पदाधिकारी, बांका के पत्रांक–987 दिनांक–04.09.2024 द्वारा चालान का सत्यापन करने की सूचना प्रमंडलीय कार्यालय को दिया गया।

(iii) उक्त कार्य का प्रथम चालू विपत्र के द्वारा रूपये 200.00 लाख का भुगतान मात्र ही किया गया है, जबकि संवेदक का रू 307.08 लाख का भुगतान जाँच के क्रम में लंबित है।

3. श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि खान एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक–4557 दिनांक–11.09.2023 में निहित प्रावधान के अनुसार अवैध रूप से खनन, परिवहन एवं भंडारण किए गए लघु खनिजों के उपयोग को रोकने एवं राजस्व अपवंचन (evasion) रोकने हेतु ऐसे संवेदकों की सूची एवं चालान सत्यापन से संबंधित सूची संबंधित खनन कार्यालय को देने के संबंध में श्री सिंह द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार श्री सिंह के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. अतएव उपर्युक्त के आलोक में **श्री संजीव कुमार सिंह**, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बाँका के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर पत्रांक–808 (अनु०) दिनांक–27.05.2025 को सम्यक विचारोपरांत अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 14 (v) के तहत निम्नलिखित दण्ड संसूचित किया जाता है :–

(i) **''संचयी प्रभाव के बिना 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक''**।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–4(पथ) आरोप–33/2024 **पटना, दिनांक :–**

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग / सारा–4(पथ) आरोप–33 / 2024 **पटना, दिनांक** :–

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पटना / अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार पथ अंचल, भागलपुर / कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बाँका / उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अवर सचिव (मु0 / लेखा) / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1 / 2 / 6 / 13 / 14, एवं लेखा शाखा (प्रशाखा–30), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री संजीव कुमार सिंह**, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बाँका को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह० / –
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– निग / सारा–4(पथ) आरोप–33 / 2024 4342(S) **पटना, दिनांक** :– 24/6/2026

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

24.6.26

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।